23/10/19.

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/अप्रार्थीगण अनुपस्थित। संभवत: वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र की पैरवी के लिए गंभीर नहीं है। अत: प्रथम दृष्टया जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/10/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.20 16:10:42 IST
Reason: SelfAttested